## COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

**Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001**

No. 4(01)/2013-HR-II

22nd January,2013

### Office Memorandum

**Sub.: Amendment to Rule-8.3 of 'CSIR Service Rules, 1994 for Recruitment of Technical & Support Staff'**

The Governing Body of CSIR in it's 181st meeting held on 04th September,2012 has approved the following amendment to 'CSIR Service Rules, 1994 for Recruitment of Technical & Support Staff':-

| Existing Rule 8.3 - Relaxation | Amended Rule 8.3 - Relaxation |
|---|---|
| "Relaxation in age limit, qualification and/or experience in case of exceptionally meritorious candidates (both departmental and outsiders) would be allowed with the prior approval of DG,CSIR. In addition, relaxation for SC/ST candidates as provided by the Govt. of India will continue. However, age would be :<br>1. Relaxable for SCs/STs/ OBCs and certain other categories as notified by the Central Govt. from time to time.<br>2. Relaxable cumulatively with any other age relaxation for SCs/STs/OBCs. | "Relaxation in age limit upto 5 years may be allowed to Council/Government/ Autonomous Bodies / Public Sector Undertaking employees in accordance with the instructions and orders issued by the Government of India from time to time in this regard.<br>In addition, relaxation for SCs/STs/OBCs and certain other categories as provided by the Govt. of India will continue.<br>Relaxation in age limit, qualification and/or experience in cases of exceptionally meritorious candidates would be allowed with the prior approval of Director General, CSIR." |

The aforesaid amendment to Rules shall come into force with immediate effect.

Hindi version follows.

(R S Antil)
Sr Dy Secretary (HR-Admn.)

Copy to:

1. Directors/Heads of all CSIR Labs./Instts
2. Sr COAs/COAs/AOs of all Labs./Instts.
3. PS to DG, CSIR
4. PS to JS(A), CSIR

*contd...*

# वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001

सं.4(01)/2013–एचआर–II

दिनांक: 22 जनवरी, 2013

## कार्यालय ज्ञापन

**विषय: 'तकनीकी एवं सहायक स्टाफ की भर्ती हेतु सीएसआईआर सेवा नियमावली, 1994' के नियम –8.3 में संशोधन**

सीएसआईआर की शासी निकाय ने दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को सम्पन्न अपनी 181वीं बैठक में 'तकनीकी एवं सहायक स्टाफ की भर्ती हेतु सीएसआईआर सेवा नियमावली, 1994' में निम्नवत संशोधन किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया है:

| वर्तमान नियम 8.3 – छूट | संशोधित नियम 8.3 – छूट |
|---|---|
| "अत्यंत मेधावी अभ्यर्थियों (विभागीय एवं बाह्य दोनों) के मामले में आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हता और अथवा अनुभव में महानिदेशक, सीएसआईआर के पूर्वानुमोदन से छूट की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित छूट जारी रहेगी। तथापि, आयु में छूट:<br>1. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित कुछ अन्य वर्गों के लिए शिथिलनीय होगी।<br>2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित किसी अन्य छूट के साथ जुड़कर शिथिलनीय होगी।" | "भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार परिषद/सरकार/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट की अनुमति दी जा सकती है।<br>इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों तथा कुछ अन्य वर्गों के लिए निर्धारित छूट जारी रहेगी।<br>अत्यंत मेधावी अभ्यर्थियों (विभागीय एवं बाह्य दोनों) के मामले में आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हता और अथवा अनुभव में महानिदेशक, सीएसआईआर के पूर्वानुमोदन से छूट की अनुमति प्रदान की जाएगी।" |

नियमावली में उपर्युक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(आर.एस. अन्तिल)
वरिष्ठ उप सचिव (मा.स.–प्रशा.)

**प्रतिलिपि:**

1. सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर की निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर
6. निदेशक, केन्द्रीय कार्यालय
7. वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार, सीएसआईआर
8. विधि सलाहकार, सीएसआईआर
9. उप सचिव (के.का.)/उप सचिव (कॉम्प्लेक्स)
10. उप सचिव (नीति प्रभाग)
11. प्रधान, एचआरडीजी/यूआरडीआईपी/एचआरडीसी/आईपीयू/पीपीडी/इस्टैड/यूएसडी
12. सीएसआईआर मुख्यालय/सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी उप सचिव/अवर सचिव
13. सचिव, जेसीएम (स्टाफ साइड), आईआईसीटी, हैदराबाद – 50007
14. प्रधान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग – इस अनुरोध के साथ की इस अधिसूचना को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।